न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

कैम्प – घाटवा

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. हनुमानसिंह पुत्र छोटूसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र जयसिंह
   जाति राजपूत सा. घाटवा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. पूर्णसिंह पुत्र मूलसिंह
2. हणमानसिंह पुत्र मूलसिंह
3. महावीरसिंह पुत्र मूलसिंह
   राजपूत सा. घाटवा
4. किशनलाल पुत्र रामूराम
   कुमावत सा. घाटवा
5. तहसीलदार नांवा
6. उप पंजीयक नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकरो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– वादीगण व प्रतिवादी 4, 5

मुकदमां नम्बर :– 105/2012

निर्णय दिनांक :– 30.5.17

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम घाटवा के गत खसरा नम्बर 434 रकबा 36–19 बीघा स्थित हैं भू– प्रबन्ध कार्यवाही सन् 1986 से 90 तक हुई जिसमें नवीन खसरा नम्बर 443, 445, 459 875/459 अंकित कर ग्राम करणीपुरा में स्थित हैं पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण की स्वअर्जित व्यक्तिगत क्रय शुदा भूमि हैं जिसको 50–55 वर्ष पूर्व बतौर प्रतिफल सदभावी क्रेतागण के रूप में खरीद की थी तथा खरीद के दिन से काबिज काष्त हैं उक्त भूमि के पूर्व में एक रास्ता घाटवा से काबरिया बास को जाता हैं नवीन खसरा नम्बर 443 भूमि रास्ते से पूर्व में हैं तथा बकाया खसरा नम्बर भूमि रास्ते के पश्चिम में हैं गत खसरा नम्बर 435 हम वादीगण की भूमि के उत्तर में स्थित है जो नाथसिंह पुत्र कालूसिंह कौम राजपूत की खातेदारी की भूमि थी जो प्रतिवादी 1 से 3 के दादा थे नाथूसिंह का स्वर्गवास आज से करीबन 25 वर्ष पूर्व हो चुका हैं तथा भू– प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान पूर्णसिंह 8 वर्ष, हनुमानसिंह 5 वर्ष तथा महावीरसिंह लगभग 3 वर्ष का था तथा तीनों नाबालिग थे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम घाटवा के नवीन खसरा नम्बर 466, 919/459 कुल रकबा 5.10 हैक्टयर भूमि का बंटवारा बाबत प्रतिवादी 1 से 3 के पिता मूलसिंह को बालसिंह का गोद पुत्र बताकर नाबालिंग पुत्रो व नाथसिंह का संयुक्त परिवार के सदस्य बतलाकर उक्त भूमि पर गत पेमाईश में नाम दर्ज होने से छुट गया था प्रार्थना पत्र में कथन वर्णित किऐ गये हैं वो छलकपट के साथ बेईमानी के आश्य से जालसाजी पूर्वक मिथ्या व रिकार्ड में हेराफेरी करवानी की मंशा से नवीन खसरा नम्बर 466 व 919/459 को प्रतिवादी 1 से 3 के नाम

30/5/17
उपखण्ड अधिकारी

दर्ज करवाने की प्रार्थना की जबकि गत भू– प्रबन्ध की कार्यवाही में प्रतिवादी 1 से 3 का जन्म ही नहीं हुआ तथा वर्ष 1988 में प्रतिवादीगण नाबालिग थे उस वक्त प्रतिवादी 1 से 3 के पिता स्थानिय अमीन से मिल कर 919/459 रकबा 0.48 हैक्टयर भूमि जो गत खसरा नम्बर 434 का अभिन्न भाग रही हैं को हडप करने की मंशा से प्रतिवादीगण नाम दर्ज करवा ली जबकि मौके पर खसरा नम्बर 919/459 रकबा 459 का अभिन्न भाग हैं। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम करणीपुरा के खसरा नम्बर 919/459 रकबा 0.48 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 919/459, 459 कुल रकबा 5.00 हैक्टयर भूमि में के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 06.09.2012 को प्रतिवादी 3 की ओर से वकील श्री हरिराम गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से वकील श्री श्रवणराम जाट ने अन्डरटेकिंग दी हैं लेकिन आज पिछले 5 साल से न तो प्रतिवादी 3 की ओर से वकालत नामा पेश किया हैं ना ही प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से न तो वकालतनामापेश किया हैं न ही जवाब पेश किया गया हैं जिससे जवाब बन्द किया गया जाकर पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर मे नियत की गई। राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रतिवादी 4 किशनलाल ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया हैं प्रतिवादी 5, 6 ने जवाब पेश करने से इन्कार किया हैं पत्रावली मजमें आम रखी गई ग्राम घाटवा व करणीपुरा के ग्रामीणों ने वादीगण का वाद सही होना स्वीकार किया हैं तथा मौके पर खसरा नम्बर 459 रकबा 4.52 हैक्टयर व खसरा नम्बर 919/459 रकबा 0.48 हैक्टयर भूमि एक ही चक में वादीगण के कब्जे काश्त में होना बताया हैं प्रतिवादी 4 किशनलाल जो इस भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं ने स्वीकार किया हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2022–2025 के अनुसार खसरा नम्बर 434 रकबा 36–19 बीघा भूमि भैरूदान, किसनदान पि. बालदान 1/2 , मोहनकंवर बेवा गणेशदान 1/2 हिस्से की खतेदारी दर्ज रिकार्ड थी जिसमें से खसरा नम्बर 434 रकबा 36–19 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा वादीगण ने खरीद की जिसके बाद नामान्तकरण संख्या 105 द्वारा दिनांक 27.03.1966 को खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड की गई हैं जिसके तहत सम्वत 2026–2029 में खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड की गई तथा सम्वत 2042–2045 तक वादीगण के ही नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही हैं तत्पश्चात भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान 0.48 हैक्टयर भूमि के खसरा नम्बर 919/459 कायम करते हुऐ खसरा नम्बर 466 के साथ खाते में शामिल करते हुऐ प्रतिवादी 1 से 3 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया हैं जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 459 रकबा 4.52 हैक्टयर के साथ वादीगण की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिऐ थी जो

30/5/17

सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के आवेदन पत्र के आधार किया हैं सेटलमेन्ट विभाग को उक्त परिवर्तन करने से पूर्व वादीगण को सुना जाना आवश्यक था तथा मौके की स्थिति की जांच करनी चाहिऐ थी लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने ऐसा नहीं किया हैं उपस्थित ग्रामीणों से वादीगण के वाद की तायद होती है, प्रतिवादीगण को भी पिछले 5 वर्षो से वाद की जानकारी होने व वकालतनामा पेश करने बाद भी कोई जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किऐ है। जिससे भी प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से कोई सरोकान नहीं होना प्रतीत होता हैं प्रतिवादीगण स्वंय अपने अधिकारो व हकूको को लेकर चिन्तित नहीं हैं जिससे वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाने योग्य है।

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत घाटवा में स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम घाटवा के खसरा नम्बर 919/459 रकबा 0.48 हैक्टयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खसरा नम्बर 452 रकबा 4.52 हैक्टयर व 919/459 रकबा 0.48 हैक्टयर की भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तदनुसार वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज राजस्व लोक अदालत शिविर घाटवा में मजमे आम दिनांक 20-5-17 को सुनाया गया।

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नीवा